

**कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0शासन,
बी0 ब्लाक, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर (छ0ग0)**

दूरभाष नं0 0771-2331482, E-mail-cciraipur@gmail.com
क्रमांक/नि-6/8/6838/तेरह/ 30 /मु.वि.नि./अटल नगर, दिनांक 08/04/2022
प्रति,

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर (NIT)
जी0ई0रोड रायपुर
जिला-रायपुर (छ0ग0)

विषय :- 1x491 किलोवाट सोलर पावर प्लांट को चालू करने की अनुमति।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/दिनांक-निरंक कार्यालय में प्राप्त दिनांक 08/04/2022

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के विनियमों एवं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 के नियमों का पालन करने की शर्त पर विषयांकित उल्लेखित विद्युत स्थापना को विनियम-32 के अन्तर्गत चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनरेटर से उत्पादित विद्युत ईकाई की खपत पर विद्युत शुल्क का भुगतान करते हुए संलग्न निर्धारित प्रपत्र "जी" में विद्युत ईकाई का खपत का विवरण प्रतिमाह इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- "जी" फार्म।

(एच0टोप्या)

अधीक्षक अभियंता (वि0सु0) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक छ0ग0शासन
नवा रायपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/नि-3/8/3709/तेरह/
प्रतिलिपि :-

/मु0वि0नि0 अटल नगर दिनांक /04/2022

1. कार्यपालन अभियंता (ओ./एम.) छ0रा0विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/मध्य/नयापारा रायपुर/उरला/सिलतरा/नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, रायपुर संभाग रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, रायपुर उपसंभाग क्रमांक-01 (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4. विद्युत शुल्क खण्ड मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।

अधीक्षक अभियंता (वि0सु0) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक छ0ग0शासन
नवा रायपुर (छ0ग0)

**कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0शासन,
बी0 ब्लाक, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर (छ0ग0)**

दूरभाष नं0 0771-2331482, E-mail-ccraipur@gmail.com

क्रमांक/नि-6/8/6838/तेरह/ /मु.वि.नि./अटल नगर, दिनांक /04/2022
प्रति,

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर (NIT)
जी0ई0रोड रायपुर
जिला-रायपुर (छ0ग0)

विषय :- 1x491 किलोवाट सोलर पावर प्लांट को चालू करने की अनुमति।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/दिनांक-निरंक कार्यालय में प्राप्त दिनांक 08/04/2022

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के विनियमों एवं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 के नियमों का पालन करने की शर्त पर विषयांकित उल्लेखित विद्युत स्थापना को विनियम-32 के अन्तर्गत चालू करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनरेटर से उत्पादित विद्युत ईकाई की खपत पर विद्युत शुल्क का भुगतान करते हुए संलग्न निर्धारित प्रपत्र "जी" में विद्युत ईकाई का खपत का विवरण प्रतिमाह इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

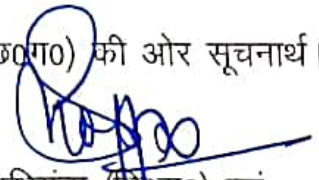
संलग्न :- "जी" फार्म।

(एच0टोप्यो)

अधीक्षण अभियंता (वि0सु0) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक छ0ग0शासन
नवा रायपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/नि-3/8/3709/तेरह/30'A' /मु0वि0नि0 अटल नगर दिनांक 08/04/2022
प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालन अभियंता (ओ./एम.) छ0रा0विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/मध्य/नयापारा रायपुर/उरला/सिलतरा/नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, रायपुर संभाग रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, रायपुर उपसंभाग क्रमांक-01 (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4. विद्युत शुल्क खण्ड मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।


अधीक्षण अभियंता (वि0सु0) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक छ0ग0शासन
नवा रायपुर (छ0ग0)